(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 18 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 153

बउनवान

श्री गुरूजंट सिंह पुत्र श्री निधान सिंह निवासी रेलवे स्टेशन के सामने, अंता हाल निवासी मकान नं. 1 / 41 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, अंता जिला बारां (राज.) मो.नं. 9509028067

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 20.09.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.07.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कार्यालय जिला कलक्टर, बारां के पत्र क्रमांक : एफ–8(01311) / जांच / सामान्य / 2024 / 3935 दिनांक 11.06.2024 विषयान्तर्गत अपीलार्थी के शिकायती पत्र में वर्णित बिंदुओं के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर रिपोर्ट अंदर 05 दिवस में भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, अंता को भेजा था। इस संबंध में 03 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी जो निम्नलिखित है :–

1. उक्त पत्र के संबंध में बिंदुवार की गई कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा अन्य विभाग से इस संबंध में की गई जांच व पत्र व्यवहार की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बारां को जांच रिपोर्ट भेजने का कवरिंग लेटर की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्ध (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:33:46 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को [illegible]9.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1122–1123 दिनांक 02.09.2024 से तलब कर, प्रथम अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1122–1123 दिनांक 02.09.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा केवल 01 बिंदु की सूचना उपलब्ध करवाई गई है। शेष 02 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करवाए जाने हेतु आदेश पारित करें।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/489–490 दिनांक 18.09.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी प्रतिलिपि भिजवा दी गई है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता से चाही गई सूचना के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/489–490 दिनांक 18.09.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/285 दिनांक 19.06.2024 से तहसीलदार, अंता को नियमानुसार जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन उनके कार्यालय को दिनांक 09.07.2024 को प्राप्त हुआ था जिसका जवाब पत्र क्रमांक :– न्याय/आरटीआई/2024/398 दिनांक 31.07.2024 से अपीलार्थी को जरिये डाक आवेदन में दिये गये पते पर भिजवा दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/सू.काअ./2024/489–490 दिनांक 18.09.2024 से इस न्यायालय में जवाब भिजवा दिया गया है जिसकी एक प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित शेष 02 बिंदुओं की सूचना के संबंध में भी अपीलार्थी को सूचित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अंता को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **20.09.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:53:46 IST
Reason: SelfAttested